न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1091/15

संस्थित दिनाँक-02.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

गोलू उर्फ गोविंदसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह नरविरया उम्र 25 साल, निवासी ग्राम रावतपुरा थाना गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0 हाल पूर्णा नर्सिंगहोम के बगल से लश्कर रोड भिण्डअभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 24.05.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 तथा 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13.08.15 को 18 बजे अपेक्स कॉलेज के पास गोहद चौराहा सार्वजिनक स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0—30 एम0जी0— 4814 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, गिराकर वीक्त सोनी की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.12.15 को समय करीब शाम 4 बजे फरियादी सुनील कुशवाह अपने पिता शौकीराम को मोटरसाईकिल क0 एम0पी0—30 एम0एफ0—0448 डिस्कवर से बिरखडी तरफ से मेहगांव ले जा रहा था। भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर जैतपुरा की पुलिया के पास पहुंचे जहां उनके रिश्तेदार रामौतार कुशवाह व सूरतराम इंतजार कर रहे थे। वे लोग पुलिया पर एक तरफ खडे होकर बात करने लगे इतने में भिण्ड तरफ से एक हुण्डई ईओन कमांक यू0पी0—80 सी0पी0—8533 का चालक कार को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और मोटरसाईकिल तथा फरियादी के रिश्तेदार सूरतराम व रामौतार में टक्कर मार दी जिससे फरियादी सुनील, शौकीराम तथा रामौतार को चोटें आई। सूरतराम को अधिक चोटें होने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। एम्बुलैंस से आहतगण को गोहद अस्पताल लाया गया जहां उक्त आशय की देहाती नालिसी लेख की गयी। देहाती नालिसी के उपरांत आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अपराध कमांक 288 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, नक्शामौका बनाया गया। मृतक सूरतराम का शव परीक्षण कराया गया। वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंढा फंसाया जाना बताया, वाहन मृतक द्वारा चलाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं

1—क्या मृतक वीरू सोनी की सडक दुर्घटना में दिनांक 13.08.15 को मृत्यु कारित हुई थी ?

3.क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.08.15 को 18 बजे अपेक्स कॉलेज के पास गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0—30 एम0जी0— 4814 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलांकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

4.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उस पर से गिराकर वीरू सोनी की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?

<u> —:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पंचम अ०सा० 1, मौनू उर्फ मौहम्मद वाहिद अ०सा० 2, सोनू उर्फ सतेन्द्र अ०सा० 3 रामकरन शर्मा अ०सा० 4, गोपसिंह अ०सा० 5, डा० चन्द्रशेखर बाघमारे अ०सा० 6, आर०के पाठक अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 //

6. पंचम अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि मृतक वीरू उनका पुत्र था। घटना दिनांक 13.08.15 की बताते हुए यह कथन करते हैं कि वे अपनी दुकान पर बाजार में गए थे, जब शाम को 7 बजे लौटे तो पुत्री राधा ने बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। तब वह गोहद चौराहा आया तो पता चला कि उनके लड़के को अस्पताल से ग्वालियर के लिए रैफर कर दिया है। साक्षी यह भी बताते हैं कि अपने पुत्र को आयुष्मान अस्पताल ले गए, उसके पहले संस्कार अस्पताल ले गए थे और बाद में बिरला अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उनके लड़के की मृत्यु हो गयी। साक्षी मृत्यु के बाद शव परीक्षण होने और उसके संबंध में नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 1 बताकर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। शव परीक्षण के समय उपस्थित होने का पंचनामा प्र0पी0 2 बनाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने तथा अकाल मृत्यु की सूचना प्र0पी0 3 के रूप में थाना गोले का मंदिर ग्वालियर में दिए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। पंचम अ0सा0 1 यह बताते हैं कि उन्होंने सोनू भदौरिया और गोलू से पूछा था कि एक्सीडेंट कैसे हो गया तो उन्होंने बताया कि लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार से यह साक्षी मृतक वीरू की मृत्यु सड़क दुर्घटना में कारित होने के संबंध में कथन करते हैं।

- साक्षी मोनू उर्फ मौहम्मद वाहिद अ०सा० २ यह कथन करते हैं कि उन्हें मृतक वीरू सोनी का फोन आया जिसने उसे बद्रीप्रसाद की बिगया पर बुलाया था। जब वह वहां पहुचा तो उसने देखा कि सोनू भदौरिया और वीरू शराब पी रहे थे और थोड़ी देर में गोलू भी आ गया। वीरू सोनी ने कहाकि सोनू भदौरिया का जन्म दिन हैं, ग्वालियर चलना हैं। इसके बाद वे सब ग्वालियर की तरफ चले। रास्ते में 3-4 जगह शराब पी। मालनपुर के पहले शराब पी। सोनू भदौरिया और गोलू भदौरिया का मुंहवाद हो गया तो वीरू ने कहाकि तुम लडते रहो, गोलू ने कहाकि तुम चलो यहां से, मोटरसाईकिल पर बैठो, मैं मोटरसाईकिल चलाता हूँ। इसके बाद वे लोग आगे निकल गए और जब गोहद चौराहे के पहले सरदार के कॉलेज के पास पहुंचे तो वहां काफी भीड थी, पूछा तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है और गोलू तथा वीरू को गोहद अस्पताल भेज दिया था। बाद में पता चला कि वीरू दो दिन बाद खत्म हो गया। साक्षी सोनू अ०सा० 3 भी इसी के समान कथन करता है और बताता है कि दिनांक 13.08.15 को वे तथा मौनू मोटरसाईकिल से वीरू की मोटरसाईकिल के पीछे जा रहे थे। जब वे घटनास्थल ग्वालियर भिण्ड रोड पर पहुंचे तो देखा, वीरू की मोटरसाईकिल पडी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वीरू और गोलू रोड पर पडे थे, वीरू के सिर में चोट आई थी, वह बेहोश पडा था। गोलू के शरीर पर कई जगह छिलन आई थी, उसे अस्पताल ले गए, बाद में ग्वालियर रैफर कर दिया। पांचवे दिन 18 तारीख को वीरू इलाज के दौरान फौत हो गया। इस प्रकार से दोनों साक्षी मोटरसाईकिल से सडक दुर्घटना होने पर मृतक वीरू सोनी की मृत्यु उसके परिणामस्वरूप होने का कथन करते हैं। उक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षीगण द्वारा अभिकथित मोटरसाईकिल के अभियुक्त गोलू उर्फ गोविंद द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षी मौनू अ०सा० 2 मोटरसाईकिल मृतक वीरू द्वारा चलाए जाने और साक्षी सोनू अ०सा० 3 द्वारा घटना के समय कीन मोटरसाईकिल चला रहा था, इसके संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है, किन्तू साक्षीगण का यह कथन कि मृतक वीरू सोनी की मृत्यु मोटरसाईकिल से सडक दुर्घटना में कारित हुई, इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः यह तथ्य चुनौती रहित है कि मृतक वीरू सोनी की सडक दुर्घटना दिनांक 13.08.15 को कारित हुई थी।
- 8. ए०एस०आई० आर०के० पाठक अ०सा० ७ यह कथन करते हैं कि दिनांक १३.०८.१५ को वे थाना गोहद चौराहा पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्हें उक्त दिनांक को अपैक्स कॉलेज के पास दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई, उसमें आहत वीरू सोनी पुत्र पंचम सोनी को अधिक चोट होने से उक्त दिनांक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जहां सिर में घाव व अत्यधिक खून बहने से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक १८.०८.१५ को उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की सूचना से थाना गोले के मंदिर से मर्ग कायम होकर दस्तावेज प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात् उक्त मर्ग से गोहद चौराहा थाना में मर्ग लेख

किया गया जिसकी जांच प्राप्त होने पर उन्होंने मर्ग जांच की थी। मर्ग जांच रिपोर्ट दिनांक 15.09.15 प्र0पी0 10 के रूप में प्रस्तुत किए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 13.08.15 को उसने आहत वीरू सोनी का एम0एल0सी0 फार्म घटनास्थल पर भरा था और यह भी स्वीकार करते हैं कि इसके बाद थाना गोले के मंदिर से प्राप्त मर्ग डायरी से आगे की कार्यवाही की थी, यह भी स्वीकार करते हैं कि दि0 13.08. 15 से सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18.08.15 में 5 दिन का अंतर है।

9. डा० चन्द्रशेखर बाघमारे अ०सा० ६ यह कथन करते हैं कि दिनांक 18.08.15 को वे मेडीकल कॉलेज ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोले के मंदिर के आरक्षक संजय खॉन द्वारा मृतक वीरू पुत्र पंचम सोनी आयु 24 निवासी विकास नगर का शव परीक्षण हेतु उनके समक्ष लाया गया था। शव परीक्षण में निम्न तथ्य पाए थे—

बाह्य परीक्षण-

मृतक मध्यम कद काठी का था, उसने सफेद शर्ट और लोअर पहना था। मृतक के शरीर पर अकड़न मौजूद थी। उसके बाए कान के उपर व नीचे 6 गुणा 4 सेमी0 आकार का छिले का निशान मौजूद था। मृतक के सिर पर बांए तरफ सिली हुई चोट का निशान मौजूद था जो करीब 6 सेमी0 का था। मृतक के नाक, कान व गालों पर छिलन के निशान थे, उंगलियों के पीछे की तरफ छिलन के निशान मौजूद थे। मृतक के दायी जांघ के पिछले हिस्से में नील का निशान मौजूद था। दोनों भुजाओं पर मुदी चोट के निशान थे।

आंतरिक परीक्षण-

मृतक का सिर खोलने पर चमडी में बांयी तरफ तथा उपर के भाग में मुदी चोट का निशान मौजूद था। मस्तिष्क में अंदर दांयी तरफ खून के थक्के मौजूद थे तथा बाकी मस्तिष्क में भी जमा हुआ खून मौजूद था। मृतक के अन्य आंतरिक अंग स्वस्थ थे।

<u> अभिमत</u> –

डा० बाघमारे के मतानुसार शव परीक्षण करते समय मृतक की मृत्यु 12 घण्टे के भीतर की थी, मृत्यु का कारण हृद्य तथा श्वांस की गित रूकना है जो कि मृतक के सिर में आई चोट के कारण है। मृतक के शरीर पर आई चोटें किसी सख्त एवं भौथरी वस्तु से आई हैं एवं पुलिस द्वारा बताये हुए इतिहास से मेल खाती है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 9 है जिसके ए से ए भाग पर डा० बाघमारे के हस्ताक्षर हैं। चिकित्सक द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतक यदि तेज गित में मोटरसाईकिल चलाते हुए गिर जाए तो उसके सिर में उक्त प्रकार की चोटें आना संभव है। ऐसे में चिकित्सक द्वारा भी मृतक वीरू को सडक दुर्घटना में चोटें कारित होने का तथ्य प्रमाणित किया है।

डा० बाघमारे अ०सा० ६ के द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी० 9 उनके द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन अविश्वास का कोई आधार न होने से विधिवत प्रमाणित है। उनके द्वारा दिया गया अभिमत अभियुक्त की ओर से चुनौती रहित रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं अभियुक्त की ओर से मृतक को सडक दुर्घटना में आई चोटें से मृत्यु कारित होने के संबंध में सुझाव दिया है जो कि इस तथ्य की पुष्टि करता है कि आहत वीरू सोनी की दिनांक 13.08.15 को सडक दुर्घटना कारित हुई जिसमें आई चोटों के कारण मृतक की मृत्यु कारित हुई थी। गोपसिंह अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 28.08.15 को प्र0आर0 किशनलाल द्वारा थाना गोले के मंदिर से मर्ग क0 0/15 की मर्ग डायरी असल कायमी हेतु प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार दिनांक 13.08.15 को सूचनाकर्ता पंचम सोनी के लडके वीरू सोनी की ग्वालियर से भिण्ड जाते समय दुर्घटना हो गयी और दौरान इलाज बिरला अस्पताल में मृत्यु हो गयी, इसके आधार पर वे मर्ग 42/15 प्र0पी० 7 के रूप में पंजीबद्ध करने और उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। इस प्रकार से अभियोजन साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 13.08.15 को मृतक वीरू सोनी की सडक दुर्घटना में आई चोटों के फलस्चरूप दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मृतक को मोटरसाईकिल से गिराकर उसकी आपराधिक मानव बध से भिन्न मृत्यु कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3 //

11. फरियादी पंचम अ०सा० 1 जो कि मृतक का पिता है, वह कथन करता है कि घटना के समय अपनी दुकान पर बाजार में गया था, किण्डका 2 में बताता है कि वह चाट का ठेला भिण्ड में लगाता है। प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में स्वीकार करता है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। मोनू अ०सा० 2 तथा सोनू अ०सा० 3 दोनों मृतक वीरू सोनी के साथ ग्वालियर जाने और लौटते समय घटनास्थल अपैक्स कॉलेज के पास दुर्घटना के बाद पहुंचने का कथन करते हैं ऐसे में उक्त साक्षीगण भी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। मोनू अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में बताता है कि मृतक वीरू सोनी ने मालनपुर से पहले गोलू से कहा कि मोटरसाईकिल पर बैटो, मैं मोटरसाईकिल चलाता हूँ। इस प्रकार से घटना के समय मृतक वीरू सोनी के द्वारा मोटरसाईकिल चलाए जाने के संबंध में कथन करता है। सूचक प्रश्न में इंकार करता है कि अभियुक्त गोलू गाडी चला रहा था और वीरू पीछे बैटा था। प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में स्वीकार करता है कि मालनपुर से वीरू गाडी चलाकर लाया था। सोनू अ०सा० 3 यह कथन करता है कि वह तथा मौनू (अ०सा० 2) मोटरसाईकिल से वीरू सोनी की मोटरसाईकिल के पीछे जा रहे थे, जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वीरू सोनी की

मोटरसाईकिल पड़ी हुई थी। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन करते हैं कि मालनपुर से मृतक वीरू ने मोटरसाईकिल चलाने के लिए उठाई थी किन्तु बाद में नहीं पता कि कौन चला रहा था। सूचक प्रश्नों में भी अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल चलाए जाने के संबंध में इंकार करता है। इस प्रकार से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षियों द्वारा घटना के समय कौन व्यक्ति मोटरसाईकिल चला रहा था और किस प्रकार से दुर्घटना कारित हुई, अर्थात किसकी उपेक्षा या लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई, इस संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं।

- 12. पंचम अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि जब उन्हें उनके लडके वीरू की दुर्घटना कारित होने के संबंध में जानकारी हुई तो वे गोहद चौराहे पर आए जहां पता चला कि गोहद अस्पताल से उनके पुत्र को ग्वालियर रैफर कर दिया है। यहां साक्षी का यह कथन महत्वपूर्ण हैं "मैंने सोनू भदौरिया और गोलू से पूछा कि कैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसने बताया कि लापरवाही से गाडी चला रहे थे, इस कारण से एक्सीडेंट हो गया।" इस कथन के बाद यह साक्षी पुनः बताता है कि "मुझे सोनू भदौरिया ने बताया कि गाडी को गोलू चला रहा था।" इस प्रकार से अभिकथित घटना के समय मोटरसाईकिल को अभियुक्त गोलू के द्वारा चलाए जाने के संबंध में साक्षी का कथन अभियोजन साक्षी सोनू अ०सा० 3 के कथन पर आधारित है। जबिक सोनू अ०सा० 3 घटना के समय मालनपुर के शर्मा होटल से मृतक वीरू द्वारा मोटरसाईकिल चलाने के लिए उठाए जाने का कथन करता है। ऐसे में उक्त तथ्य कि अभियुक्त गोलू मोटरसाईकिल को घटना के समय चला रहा था, दोनों साक्षियों के परस्पर विरोधाभासी कथन से विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होती है। चूंकि पंचम अ०सा० 2 अनुश्रुत साक्षी है ऐसी दशा में उसकी अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं हैं।
- 13. अनुसंधानकर्ता आर0के0 पाठक अ0सा0 7 दिनांक 13.08.15 को थाने पर सूचना आने पर कि अपैक्स कॉलेज के पास दुर्घटना हो गयी है जिस पर से पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचने का कथन करते हैं, किन्तु घटनास्थल पर कोई व्यक्ति जिसने कि अभिकथित घटना के समय कथित मोटरसाईकिल को कौन चला रहा था और किस प्रकार से चलाई जा रही थी तथा किसकी उपेक्षा व उतावलेपन से दुर्घटना कारित हुई, इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित करने का अवसर होने पर भी ऐसा कोई साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। आर0के0 पाठक अ0सा0 7 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 16.11.15 को अर्थात घटना से करीब 3 महीने बाद उक्त मोटरसाईकिल पल्सर जब्तकर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 12 बनाया था और वाहन स्वामी गोविंदिसिंह के वाहन चलाने का प्रमाणीकरण प्र0पी0 14 लिया था। प्र0पी0 14 का दस्तावेज में वाहन स्वामी अभियुक्त गोविंदिसिंह उर्फ गोलू नरवरिया पुत्र वीरेन्द्रसिंह के द्वारा अभिकथित घटना दिनांक 13.08.15 को उक्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0—30 एम0जी0—4814 को स्वयं चलाए जाने के

संबंध में स्वीकारोक्ति का तथ्य लेख है जो कि भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 26 के अधीन आता है जो निम्नानुसार उपबंधित करती है—

पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना—कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजि० की साक्षात् उपस्थिति में न की गयी हो।

- 14. प्रकरण में आरoकेo पाठक अ0साo 7 के अनुसार प्र0पीo 12 का जब्ती पत्रक, प्र0पीo 13 का .गिरo पत्रक तथा प्र0पीo 14 का प्रमाणीकरण अभियुक्त से एक ही दिनांक को लिया जाना दर्शित है। ऐसे में अभियुक्त के अभिरक्षाधीन रहते हुए यदि कोई प्रमाणीकरण प्र0पीo 14 दिया गया तो उक्त प्रमाणीकरण अंतिम उल्लेखित धारा 26 साक्ष्य विधान के प्रभाव से उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। अभियोजन को अपना मामला अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करना होता है। गोपसिंह अ0साo 5 प्रकरण में मर्ग कायमी कर्ता हैं जिनकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है जो अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध को प्रमाणित करने हेतु न तो स्वयं पर्याप्त है और न हीं उसकी समर्थनकारी है। इसी प्रकार से आरक्षक रामकरन अ0साo 4 जो कि मैकेनिकल जांचकर्ता हैं, उनके द्वारा दिनांक 16.11.15 को अभिकथित जब्तशुदा मोटरसाईकिल पल्सर एमoपीo—30 एमoजीo—4814 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया है। उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य से यह तथ्य मात्र प्रमाणित हैं कि उक्त मोटरसाईकिल परीक्षण के समय मडगार्ड पर खरोंच, हैड लाईट टूटी हुई पाई गयी थी किन्तु घटना के समय उसे कौन चला रहा था, के संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य से भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है।
- 15. प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षी मौनू अ०सा० 2 व सोनू अ०सा० 3 है जो कि घटना के पूर्व शराब पीने के बाद मोटरसाईकिल को मृतक वीरू सोनी द्वारा ले जाने के संबंध में कथन करते हैं। उनका कथन अखण्डित एवं अभियोजन पर बाध्यकारी है। उनके कथन की पुष्टि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोगपत्र में संलग्न दिनांक 13.08.15 के मृतक वीरू सोनी के मेडीकोलीगल प्रमाणपत्र से भी होती है। यद्यपि अभियोजन द्वारा उसे प्रमाणित नहीं कराया गया है किन्तु अभियोगपत्र में संलग्न होने से उसे अन्य साक्ष्य के प्रकाश में न्यायालय विचार में ले सकता है जिसमें आहत का परीक्षण करने पर उसकी सांस से शराब की बदबू आने के संबंध में चिकित्सक द्वारा लेख किया गया है। ऐसी दशा में जहां अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं हैं कि घटना के समय कौन व्यक्ति मोटरसाईकिल का चला रहा था तथा किसकी उपेक्षा व उतावलेपन से दुर्घटना कारित हुई वहां मृतक के दुर्घटना के पूर्व शराब के नशे में होने का तथ्य उसके संबंध में अभियोजन साक्षी मौनू अ०सा० 2 एवं सोनू अ०सा० 3 के कथनों के आधार पर भी संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

- 16. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। 'सत्य हो सकता है' और 'सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.08.15 को 18 बजे अपेक्स कॉलेज के पास गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0—30 एम0जी0— 4814 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, गिराकर वीरू सोनी की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। अतः अभियुक्त को धारा 279 व 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 17. अभियुक्त की जमानत निरस्त जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 18. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / —
ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मा श्रेणी
ध्यप्रदेश